**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 103 वर्ष 2018-19**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25/01/2018 से 29/01/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**<u>भाग</u>-।**

1. **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 10/01/2018 से 15/01/2018 तक श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया। उक्त लेखा परीक्षा में माह 07/2016 से माह 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** के अंतर्गत जिला देहरादून अंतर्गत आने वाले ब्लॉक एवं विधानसभा क्षेत्रो के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रो के किसानो को सिंचाई एवं जल की सुविधा उपलब्ध कराना।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मु.शीर्ष | स्थापना लाख | गैर स्थापना लाख | आवंटन लाख में | व्यय लाख में | आवंटन लाख में | व्यय लाख में |
| 2016-17 | | - | | | | 70.24 | 70.24 |
| 2017-18 | | | | | | 151.51 | 151.51 |
| 2018-19(12/2018 तक) | | | | | | 165.50 | 116.91 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | शून्य | | | | |
| 2016-17 | | | | | |
| 2017-18(10/2017) | | | | | |

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

2.मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 सिंचाई विभाग, देहरादून

3.अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/18 को विस्तृत जांच हेतु एवं चयनित किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-2 (ब)

**प्रस्तर:1- अधीनस्थ कार्यालयों का कम निरीक्षण किए जाने के संबंध मे।**

सिंचाई विभाग के मैनुअल सं0-2 (अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य) के पैरा-3 के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता अपने मण्डल के विभिन्न कार्यों की स्थिति का निरीक्षण करेगे।वह अपने अधीन खंडीय कार्यालयों का निरीक्षण भी वर्ष मे न्यूनतम एक बार अवश्य करेगे तथा अपने निरीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र मे मुख्य अभियंता के सूचनार्थ भेजेगे। जिसमे उनके द्वारा किए निरीक्षण के परिणाम मे सामान्यत प्रारम्भिक लेखा, भंडार लेखा, औज़ार एवं संत्र व स्टॉक के निर्माण, कार्य रजिस्टर इत्यादि कार्यालय के कार्य सम्मिलित हैं।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून  के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि मार्च 2016 के पश्चात कार्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी खंड कार्यालय का निरीक्षण नही किया गया हैं।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा इंगित किया गया कि वर्ष 2016-17 मे मण्डल कार्यालय मे स्टाफ कि कमी के कारण खंडीय कार्यालय का निरीक्षण नही किया जा सका तथा वर्ष 2017-18 का निरीक्षण अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ा। कार्यालय का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि कम निरीक्षण किए जाने से अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यों मे शिथिलता आने की संभावना रहती हैं।

अत:- कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों का कम निरीक्षण किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

## भाग-2 (ब)

**प्रस्तर:2- 16 नहरों का विगत 02 से 12 वर्ष से बंद रहने से क्षेत्र के किसानों का 791 CCA असिंचित रहना।**

अधीक्षण अभियंता के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले खंडों के अंतर्गत 16 नहरों जिनका सींच क्षेत्र 791 CCA था विगत 02 से 12 वर्ष के उपरांत भी बंद हैं। जिस कारण क्षेत्र के किसानों का 791 CCA असिंचित रह गया हैं। और न ही उक्त नहरों को परित्याग की श्रेणी मे रखा गया हैं।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि इन नहरों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु संबन्धित विभागों से प्राक्कलन प्रेषित कर खंडों द्वारा धन की मांग की गयी हैं धनराशि प्राप्त होने पर मरम्मत एवं पुनर्स्थापना का कार्य प्रस्तावित हैं। बंद नहरों को आंशिक रूप से चलाकर वैकल्पिक व्यवस्था से प्रभावित क्षेत्रों मे सींच उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यालय का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि उक्त नहरों मे से कुछ नहरों विगत 12 वर्षों से बंद हैं।

अत: कार्यालय के अंतर्गत आने वाली 16 नहरों का विगत 02 से 12 वर्ष से बंद रहने से क्षेत्र के किसानों का 791 CCA असिंचित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

**STAN**

**प्रस्तर:1 - `239.84 लाख की देनदारीयों का सृजन किया जाना।**

सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून की मासिक प्रगति आख्या माह 12/2018 के अवलोकन मे पाया गया हैं कि नाबार्ड के अंतर्गत डोईवाला विकास खंड के अंतर्गत योजना "Flood protection scheme of Bangakhala Chaktunwala along Bangakhala block Doiwala district Dehradun" की वित्तीय स्वीकृति NBSPD/2312/RIDF-XXIII (Uttara-khand)/167th PSC-03.11.2017/2017 dated:-09.11.2017 के अंतर्गत `319.50 लाख एवं भौतिक 2.50 कि0मी0 की दी गयी थी। माह 12/2018 के अंत तक कुल `79.66 लाख का आवंटन एवं व्यय दिखाया गया एवं भौतिक प्रगति 2.50 कि0मी0 दिखाकर भौतिक प्रगति पूर्ण दिखाई गई।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा इंगित किया गया कि कुल `79.66 लाख का आवंटन ही हुआ हैं। योजना पर धनावन्टन की प्रत्याशा मे भौतिक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं एवं अवशेष धनराशि की मांग प्रमुख अभियंता (बजट अनुभाग), सिंचाई विभाग, देहरादून से की गयी हैं। कार्यालय का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि विभाग द्वारा वित्तीय नियमों के विरुद्ध `239.84 लाख की देनदारीयों का सृजन किया गया।

अत: वित्तीय नियमों के विरुद्ध `239.84 लाख की देनदारीयों का सृजन किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

## भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| क्रम संख्या | लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष | अनिस्तारित प्रस्तर | |
|---|---|---|---|
| | | भाग–दो 'अ' | भाग–दो 'ब' |
| **1** | **28/2006-07** | **1** | **1** |
| **2** | **35/2014-15** | **-** | **1** |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|

अनिस्तारित प्रस्तर की अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित मुख्य अभियन्ताओ द्वारा कार्यालय का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | **श्री पूरन चन्द्र** | **अधीक्षण अभियन्ता, विगत लेखा परीक्षा से 16/07/2018 तक** |
| 2. | **श्री शरद श्रीवास्तव** | **अधीक्षण अभियन्ता, 17/07/2018 से 1/10/2018** |
| 3. | **श्री मनोज कुमार सिंह** | **अधीक्षण अभियन्ता, 01/10/2018 से वर्तमान तक** |

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   1.लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**आर्थिक क्षेत्र - 2**